

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, टनकपुर, जिला चम्पावत।

फौ0वा0सं0-277 / 2022

राज्य बनाम किरन सामन्त

14.09.2022

अभियुक्त जरिये विद्वान अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंकित किये गए, जिसमें अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारा गया। पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-177 एम0वी0एक्ट में संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त द्वारा वाहन से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त को धारा-177 एम0वी0एक्ट में दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त को धारा-177 एम0वी0एक्ट में मुव0 4,00/-रूपये जुर्माने के दण्ड तथा दण्ड अदा न करने पर 01 दिन के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(रजनीश मोहन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज

टनकपुर, चम्पावत।